न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 10/2019 अपील /डूंगरपुर
पंजीयन दिनांक– 08–01–2019
निर्णय दिनांक– 25.04.2019

1. श्री रायभाण पिता श्री वरसिंग लबाना निवासी पीठ फला नवलपुरा नया गांव तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
2. श्री वीरभाण पिता श्री वरसिंग लबाना निवासी पीठ फला नवलपुरा नया गांव तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
3. श्री भंवरलाल पिता ताराचन्द जी लबाना मृतक के बजाय
4. श्री भैरूलाल पिता पिता ताराचन्द लबाना निवासी पीठ फला नवलपुरा नया गांव तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
5. श्री रामचन्द्र पिता पांचा लबाना निवासी नया गांव, बलू, तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
6. श्री वक्ता पिता पांचा लबाना निवासी नया गांव, बलू, तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
7. श्री लखा उर्फ लक्ष्मीचन्द पिता वरसिंग लबाना निवासी पीठ फला नवलपुरा नया गांव तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
8. श्री मगनलाल पिता दीता लबाना निवासी नया गांव, बलू, तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
9. श्री शिवलाल पिता दीता जी लबाना निवासी नया गांव, बलू, तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
10. श्री कालूराम पिता ताराचन्द लबाना निवासी पीठ फला नवलपुरा नया गांव तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
11. श्री नन्दराम पिता ताराचन्द लबाना निवासी पीठ फला नवलपुरा नया गांव तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
12. श्री बालूराम पिता ताराचन्द लबाना निवासी पीठ फला नवलपुरा नया गांव तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती गेन्दकुंवर पुत्री नाथूसिंह जी चौहान पत्नी वख्तसिंह शक्तावत निवासी इन्दौडा तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर हाल निवासी अहमदाबाद (गुजरात)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. श्रीमती गजरात कुंवर उर्फ निर्मला कुंवर पत्नी परबतसिंह चौहान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
3. श्री शिवसिंह पिता परबतसिंह चौहान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
4. श्री यादवेन्द्रसिंह पिता परबतसिंह चौहान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
5. श्री राजेन्द्रसिंह पिता परबतसिंह चौहान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
6. श्रीमती नीरू कुंवर पुत्री परबतसिंह चौहान पत्नी नटवरसिंह निवासी मेवडा, तहसील सीमलवाडा, हाल पुर्नवास कॉलोनी, पानी की टंकी के पास सागवाड़ा जिला डूंगरपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
8. श्री अधिशाषी अभियंता, बारन्दा लघु सिंचाई परियोजना, सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :

श्री परमेश्वर पण्ड्या	:	अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री अरूण जैन	:	अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6
श्री विजय कुमार ओसतवाल	:	अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाड़ा
के प्रकरण संख्या 87/2011 निर्णय दिनांक 29–11–2012

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः– 25.04.2019

अपीलार्थीगण द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 76 के तहत यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाड़ा के निर्णय दिनांक 29.11.2012 से असंतुष्ट होकर धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ दिनांक 13.08.2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पीठ, नवलपुरा में आराजी नम्बर 769, 773, 774, 775, 776 से लगाय 785, 1649 होकर कुल रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित हैं । उक्त भूमि नाथूसिंह एवं परबतसिंह के खाते की थी। श्री नाथूसिंह के देहावसान के बाद उक्त भूमि श्री परबतसिंह के खाते दर्ज हो गई एवं परबतसिंह द्वारा अलग–अलग विक्रय पत्रों के माध्यम से

उक्त भूमि को अपीलान्ट्स को विक्रय करने से वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट्स के नाम दर्ज हुई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 जो कि स्व. श्री नाथूसिंह की पुत्री है के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में श्री परबत सिंह के नाम दर्ज नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की। वादग्रस्त भूमि में से भूमि सिंचाई परियोजना के लिए भी अवाप्त हुई है, जिसके मुआवजे की प्रथम किश्त की राशि का भुगतान अपीलान्ट को हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2012 से श्री नाथुसिंह की विरासत से श्री परबतसिंह के नाम खुले नामान्तरकरण संख्या 142 को निरस्त करने के आदेश दिये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है। अपील के साथ दफा 5 जा. मयाद का आवेदन व शपथ पत्र पेश किया।

यह अपील दिनांक 13.08.2018 को मियाद के बिन्दु को रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.04.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया गया। वकील अपीलान्ट्स के अधिवक्तां द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं दिनांक 12.04.2019 को बहस प्रार्थना पत्र 5 मयाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. एवं मूल अपील पर अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं रेस्पो. सं. 1 से 6 तक की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपनी लिखित बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने नामान्तरकरण संख्या 142 निर्णय दिनांक 14.06.1973 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि नाथूसिंह व परबतसिंह के खाते की थी एवं नाथूसिंह के देहावसान के बाद वादग्रस्त भूमि परबतसिंह के अकेले के खाते दर्ज हो गयी एवं खाते होने के बाद परबतसिंह ने अलग–अलग विक्रय पत्रों द्वारा अलग अलग समय पर उक्त सारी भूमि अपीलान्ट्स को विक्रय कर दी उस आधार पर समस्त भूमि अलग अलग नामान्तरकरण के जरिये अपीलान्ट्स के खाते हो गयी एवं वर्तमान में अपीलान्ट्स इसके खातेदार काश्तकार है तथा मूल नामान्तरकरण गलत खुल जाने से इसे निरस्त किया जाकर एवं इस नामान्तरकरण के बाद जो भी नामान्तरकरण खुले है वे सभी भी निरस्त किये जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकतर अपीलान्ट्स की प्रोपर तामील हुए बिना एकतरफा कार्यवाही की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गेन्दकुंवर ने ससुराल से आकर गांव के पंचों के समक्ष अपना हिस्सा हकत्याग किया और गेन्दकुंवर को सोना चांदी देकर एक दस्तावेज हकत्याग बाबत् लिखवाया गया एवं अन्य बातों का अंकन किया गया है। अतः इन्तकाल विधि अनुसार खोले जाने से इन्तकाल बहाल रखा जावे, इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने 39 वर्षो बाद पेश शुदा मियाद बाहर अपील को बिना किसी आधार के एवं अपीलान्ट्स को सुने बिना एवं मियाद के बिन्दु पर आदेश दिये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील को स्वीकार करते हुए मूल नामान्तरकरण 142 एवं उसके बाद खुले नामान्तरकरणों को खारीज करने का आदेश दिया । उक्त आदेश का ज्ञान अपीलान्ट्स को नहीं था क्योंकि कथित आदेश अपीलान्ट्स की गैरमौजूदगी में पारित किया गया था आदेश देने से पूर्व ही वादग्रस्त जमीन भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सीमलवाडा द्वारा राज्य हित में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ वारन्दा लघु सिंचाई परियोजना के लिए अवाप्ति के नोटिस अपीलान्ट्स को देकर अवाप्त कर ली थी एवं एक किश्त भी अपीलान्ट्स को अदा कर दी थी एवं अवाप्ति अधिकारी जो कि उपखण्ड अधिकारी स्वयं थे फिर भी उन्होंने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर निर्णय पारित किया जिससे नाराज होकर अपीलान्ठट्स ने यह अपील आप न्यायालय के समक्ष पेश की है। यह कि वादग्रस्त नामान्तरकरण के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा 39 वर्षो बाद प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज कर देना चाहिये था तथा रेस्पो. सं. 1 को निर्देश देना चाहिये था कि उनका कोई हक अधिकार लगे तो वे सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर दाद हासिल कर सकते है परन्तु इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय में मयाद कण्डोन नहीं की जा सकती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश पारित किया जो काबिल निरस्त के है। इस मामले में अपीलान्ट की प्रोपर तामील नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने तामीलों की जांच किए बिना अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है जबकि यह जमीन सिंचाई परियोजना हेतु अवाप्त हो चुकी है तथा अवाप्तशुदा जमीन के बारे में निर्णय देने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं था। अपीलान्ट को प्रथम बार जानकारी सिंचाई विभाग में मुआवजा लेने गए तब हुई तथा उसी समय निर्णय की जानकारी कर अधीनस्थ न्यायालय में दो तरफा का प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु पीठासीन अधिकारी उपलब्ध नहीं होने से अपीलान्ट ने कथित आदेश के विरूद्ध आप न्यायालय में अपील पेश की है। कथित आदेश बिना अधिकार के होकर वोइड है ऐसे अवैघ एवं बिना अधिकार के पारित आदेश को चेलेन्ज करने की कोई समय सीमा नहीं है इस कारण न्यायहित में दिनांक 29.11.2012 से दिनांक 02.07.2018 तक का समय कण्डोन कराया जाना आवश्यक है, जैसा कि आर.आर.डी. 1998 पेज 319 एवं 85, आर.बी.जे. 1997 पेज 257,295, आर.बी.जे. 2001 पेज 135, सुप्रीम कोर्ट एवं आर.आर.डी. 2002 पेज 37, आर.बी.जे. 1998 पेज 380 व 150 पर तय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील करीब 39 वर्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की है ऐसे मामले में मयाद कण्डोन नहीं की जा सकती है। सबसे पहले मयाद का बिन्दु ही तय किया जाना चाहिये था जैसा कि ए.आई.आर 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 204, आर.बी.जे. 2006 पेज 78, आर.आर.डी 1989 पेज667, आर. आर.टी 2002 पेज 318, आर.बी.जे. 2007 पेज 119 व आर.बी.जे. 2008 पेज 622 पर तय किया गया है। अपील अपीलान्ट की यह भी बहस है कि अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर थी तथा 39 वर्षों के बाद अपील पेश की गई है जो किसी भी सूरत में पेश नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय को निम्न केसलॉ

के आधार पर अपील को मयाद बाहर मानकर अपील को निरस्त कर देना चाहिये था जैसा कि आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 939,788, आर.बी.जे. 2010 पेज 289, सिविल टाइम्स 2010 (2) पेज 463, इसी प्रकार आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 887, सिविल टाइम्स 2017 पेज 732 पर तय किया गया है ऐसी स्थिति में यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश शुदा अपील 39 वर्ष मयाद बाहर होने से मयाद कण्डोन नहीं की जा सकती है तथा इसी आधार पर यह पअील स्वीकर कर प्रथम अपील निरस्त की जाना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि परबतसिंह द्वारा अलग–अलग विक्रय पत्रों से अपीलान्ट्स को विक्रय किये जाने से उनके नाम दर्ज हो चुकी है। इस बात की जानकारी गेन्दकुंवर को होते हुए भी गलत आधार पर 39 वर्षों बाद नामान्तरकरण की अपील पेश की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स की प्रोपर तामिल कराये बिना एक तरफा निर्णय पारित कर बिना किसी आधार के अपील स्वीकार करने में भारी भूल की है। वादग्रस्त भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवाप्ति अधिकारी की हैसियत से इस निर्णय के पूर्व ही अवाप्त कर ली थी, भूमि अवाप्त होने के बाद राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं रहता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कानून के विपरीत निर्णय पारित किया है। गेन्दकुंवर ने परबतसिंह के हक में हकत्याग की लिखतम लिख दी थी एवं जमीन के एवज में सोना, चांदी आदि भी प्राप्त कर लिया था एवं लिखतम लिखते समय ही उक्त नामान्तरकरण संख्या 142 का उसे पूरी तरह ज्ञान था। वादग्रस्त भूमि इसी आधार पर परबतसिंह के नाम दर्ज हुई एवं परबतसिंह द्वारा विक्रय करने से अपीलान्ट्स के नाम दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि सिंचाई परियोजना में अवाप्त हुई उसकी प्रथम किश्त भी अपीलान्ट्स द्वारा प्राप्त की गई है। अपीलान्ट्स को उक्त निर्णय की जानकारी जब वह मुआवजे की दुसरी किश्त लेने गये तब पता चला कि अपीलान्ट्स के विरूद्ध कोई एकतरफा निर्णय हुआ है तब तुरन्त जानकारी कर उपखण्ड अधिकारी के यहां एकतरफा कार्यवाही को दो तरफा करने का प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने एवे पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य दिवस पर उपलब्ध नहीं होने के कारण तुरन्त ही यह अपील न्यायालय आप में पेश की गई है। वैसे तो एकतरफा व अवैध आदेश के लिए कोई मयाद मुकर्रर नहीं है फिर भी अपीलान्ट्स ने मयाद कण्डोन का प्रार्थना पत्र इस अपील के साथ पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.11.2012 को निरस्त करते हुए नामान्तरकरण संख्या 142 को बहाल रखाने जाने का आदेश प्रदान किये जाने की इन्तदुआ की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में बताया कि वर्ष 1973 में जब श्री नाथूसिंह की मृत्यु हुई तब उन्हें लाओलाद फोत बताकर नामान्तरकरण संख्या 142 मृतक नाथूसिंह के भाई श्री परबतसिंह के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। जबकि श्री नाथूसिंह लाओलाद फोत नहीं होकर उसकी वारिस उसकी पुत्री गेन्दकुंवर थी। वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण

Web Copy - Not Official

परबतसिंह के नाम स्वीकृत नहीं होकर गेन्दकुंवर के नाम पर स्वीकृत होना चाहिये था। रेस्पों. संख्या 1 को जब इसकी जानकारी हुई तब उसने अधीनस्थ न्यायालय में इसकी अपील प्रस्तुत की एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विलम्ब की अवधि को कण्डोन करते हुए नामान्तरकरण संख्या 142 को निरस्त कर ग्राम पंचायत पीठ द्वारा प्रमाणित दिनांक 14.06.1973 से ही शून्य एव प्रभावहीन घोषित किये जाने एवं वादग्रस्त भूमि के संबंध में नामान्तरकरण सं. 142 के पश्चात् खोले गये नामान्तरकरणों को निरस्त करने का दिया गया आदेश विधिसम्मत है अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा कार्यवाही को दो तरफा करने के लिए प्रार्थना पत्र का पूर्ण रूप से खुलासा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2012 विधि अनुकुल होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 से 6 ने अपनी बहस में बताया कि श्री नाथूसिंह की मृत्यु के पश्चात् गेन्दकुंवर की सहमति से परबतसिंह जी के खाते में भूमि दर्ज हुई है एवं इसके बाद उनके द्वारा कानूनी तरीके से भूमि का विक्रय किया गया है। गेन्दकुंवर द्वारा गलत आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुएः अपील अपीलान्ट्स को स्वीकार की जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस दिनांक को आदेशित 41 नियम 27 जा. दी. का एक आवेदन भी पेश किया, जिस पर भी उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओ की बहस दफा 5 जाप्ता मियाद, आदेश 41 नियम 27 जा.दी. एवं मूल अपील पर बहस सुनी तथा पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम दफा 5 जाप्ता मियाद के आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में अपीलान्ट ने अपने अपील मेमो तथा दफा 5 जाप्ता मियाद के आवेदन में वर्णित किया है कि विपक्षी रेस्पोडेन्ट द्वारा 39 वर्षो बाद अपील पेश की गई, जो क्षेत्राधिकार बाहर है। अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई। भूमिया सिंचॉई विभाग मे अवाप्त हो गई अतः अधीनस्थ न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी नहीं रहा। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 29.11.2012 से 2.7.2018 तक की मियाद कण्डोन किये जाने का आवेदन पेश किया। प्रकरण में हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि प्रकरण में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थे। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अनुसार अपीालन्ट संख्या 1 श्री रायबाण की पेशी दिनांक 22.12.2011 के सम्मन की दिनांक 14.12.2011 को जारी नोटिस की व्यक्तिगत तामिल हुई है। इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 2 वीरबाण की इसी पेशी के इसी दिनांक को जारी नोटिस की व्यक्गित तामिल भी रेकर्ड पर है। अपीलान्ट संख्या 3 भंवरलाल की भी व्यक्गित तामिल रेकर्ड पर है। अपीलान्ट संख्या 4 श्री भेरूलाल की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तामिल श्री भंवरलाल को होना, अपीलान्ट संख्या 5 श्री रामचन्द्र की तामिल श्री मगन को होना, अपीलान्ट संख्या 6 श्री वक्ता की तामिल श्री मगन को होना, अपीलान्ट संख्या 7 श्री लखा की तामिल स्वंय को होना, अपीलान्ट संख्या 8 श्री मगनलाल की तामिल व्यक्तिगत होना, अपीलान्ट संख्या 9 श्री शिवलाल की तामिल श्री मगन को होना, अपीलान्ट संख्या 10 श्री कालूराम की तामिल स्वंय को व्यक्तिगत होना, अपीलान्ट संख्या 11 श्री नन्दराम की तामिल भी कालूराम को होना, अपीलान्ट संख्या 12 श्री बालूराम की तामिल श्री कालूराम को होना सुस्पष्ट हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका 22.12.2011 के अनुसार विपक्षी 1 से 17 की ओर से अधिवक्ता का वकालत पत्र पेश होने का अंकन है, वही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 21.6.2012 में रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5, रेस्पोडेन्ट संख्या 8, 10, 12 एवं 15 की ओर से जवाब पेश होना, अंकित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16 एवं 17 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट तथा अन्य विपक्षीगण रेस्पोडेन्ट के जवाब अथवा नोटिस तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपने आवेदन दफा 5 जाप्ता मियाद एवं अपील मेमों में सिर्फ यह कथन किया है कि अधिकांश अपीलान्ट को तामिल नहीं हुई अथवा प्रोपर तामिल नहीं हुई, जो रेकर्ड से मिलान नहीं करती अर्थात अधीनस्थ न्यायालय में सभी विपक्षी अपीलान्ट को तामिल होना सुस्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 22.11.2012 को अपीलान्ट संख्या 1, 2, 4, 11 एवं 12 की ओर से अधिवक्ता श्री अल्लानूर मन्सूरी की अण्डर टेकिंग भी वकालत पत्र प्रस्तुत करने बाबत् प्रस्तुत है।

उपरोक्त सभी तथ्यों से यह सुस्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस तामिल होने के उपरांत प्रकरण में निर्णय किया गया है। दफा 5 जाप्ता मियान के आवेदन के साथ अपीलान्ट संख्या 1 जिसने शपथ–पत्र दिया है, उसकी व्यक्तिगत तामिल एवं एडवोकेट की अण्डरटेंकिग भी उपलब्ध है, उसके बावजूद उसके द्वारा यह कथन किया जाना कि उसकी प्रोपर तामिल नहीं हुई है, न सिर्फ तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है, अपितू मिथ्या है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में निर्णय दिनांक 29.11.2012 को किया गया है जिसकी मियाद 28.01. 2013 होती है, जबकि यह अपील दिनांक 3.8.2018 को प्रस्तुत की गई है जो करीब साढ़े पांच वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई हैं। इस विलम्ब के लिये जो कारण दिये गये है वे साढ़े पांच वर्ष की अवधि के उपशमन के लिये न तो उचित है, न ही पर्याप्त। अपीलान्ट द्वारा अपने आवेदन में अन्य तथ्य यह वर्णित किये है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद पर ही अपील खारीज कर दी जानी चाहिये थी, जो नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं रहता, प्रकरण में हम यह पाते है कि मूल नामान्तरकरण में नाथूसिंह के पुत्री होने के बावजूद उसे लाऔलाद बताते हुए नामान्तरकरण श्री पर्बतसिंह के नाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तस्दीक किया गया है, जो स्पष्टतयाः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रतिकूल है। अतः ऐसे विधि विरूद्ध निर्णय के विरूद्ध अपील में मियाद का बिन्दु गौण होता है। अपीलान्ट द्वारा अपने आवेदन में अवाप्ति संबंधित बिन्दु के कारण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण भी निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि यदि वास्तविक उत्तराधिकारी को वंचित करते हुए यदि विवादित भूमियॉ किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण–पर अन्तरण हो भी जाये तो भी अधिकार रहित प्रविष्ठि के आधार पर अवाप्ति हो जाने के कारण वास्तविक अधिकार धारक को वंचित नहीं किया जा सकता विशेषरूप से तब जबकि संबंधित अन्तरण प्राप्तकर्ता को सुनवाई का पूर्ण एवं युक्तियुक्त अवसर देने के बावजूद वह उपस्थित नहीं हो तथा साढे पांच वर्ष बाद अपील प्रस्तुत कर उजर उठाऐं।

उपरोक्त समग्र विवेचन के दृष्टिगत हम अपीलान्ट द्वारा साढे पांच वर्ष की दीर्घ अवधि के विलम्ब को उपशमित किये जाने के लिये कोई उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं पाते एवं तद्नुसार अपील प्रारम्भिक तौर पर ही बेरून मियाद होने से खारीज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपनी लिखित बहस में आर.आर.डी. 1988 पेज 319 एवं 85, आरबीजी 1997 पेज 257, 295, आरबीजे 2001 पेज 135, आरबीजे 1998 पेज 380 व 150 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि विरूद्ध बताते हुए अपनी साढे पांच वर्ष के विलम्ब को शमित किये जाने का निवेदन किया है। हमारे द्वारा उपरोक्त सभी नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के शासन में मृतक हिन्दू की पुत्री को जीवित होने के बावजूद मृतक को लाऔलाद बता कर किसी अन्य के नाम नामान्तरकरण खोल देने के नामान्तरकरण आदेश को विधि विरूद्ध पाते है, प्रकरण में अधिकार रहित प्रविष्ठि के आधार पर भूमि अवाप्त होकर आंशिक मुआवजा ले लेने के कारण मूल अधिकार धारक को वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई प्रभावी एवं विधिक आधार अपीलान्ट द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को प्रारम्भतः विधि विरूद्ध माना जा सके। जब अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रारम्भतः विधि विरूद्ध नहीं है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देने के बावजूद उनके स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने एवं साढे पांच वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने के तथ्यों के दृष्टिगत पेशशुदा न्यायिक नजीरों के तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते। हम अपीलान्ट की अपील प्रथम दृष्टया ही बेरून मयाद होने से खारीज किया जाना उचित समझते है।

न्याय हित में हम अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आदेश 41 नियम 27 के आवेदन के साथ पेशशुदा दस्तावेजात व अपील मेमों पर भी अपील उजरात पर भी विवेचन किया जाना उचित समझते है। अपीलान्ट द्वारा जो प्रमुख आधार लिये गये है वे ये है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील 39 वर्षो की अवधि के बाद प्रस्तुत हुई तथा भूमि अवाप्त भी की जा चुकी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय

का क्षेत्राधिकार नहीं रहता तथा गेंदकुंवर द्वारा हकत्याग भी कर दिया गया तथा भूमियॉ विक्रय हो गई है। इन सब बिन्दुओं पर विवेचन व रेकर्ड के अवलोकन से हम यह पाते है कि गेंदकुंवर नाथूसिंह की पुत्री है तथा उसके जीवित रहते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के विरूद्ध त्रुटिपूर्ण एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर नाथूसिंह को लाऔलाद अंकन करते हुए नामान्तरकरण पर्बतसिंह के नाम तस्दीक किया गया है जो न सिर्फ विरूद्ध है अपितु एक पुत्री को उसके पिता की विरासत से वंचित किये जाने का उपक्रम भी है। विधि विरूद्ध प्रकरणों में मियाद का कोई महत्व नहीं होता अतः अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद मण्डोन किये जाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की हैं। भूमियों की अवाप्ति हो जाने के तथ्यों के आधार पर वास्तविक उत्तराधिकारी को वंचित नहीं किया जा सकता तथा अधिकार रहित प्रविष्ठि के आधार पर यदि कोई मुआवजा किसी ने ले भी लिया है तो अब इस आधार पर वास्तविक अधिकारी को उसके अधिकारों से एवं इन अधिकारों की भू–अभिलेख में प्रविष्ठि नहीं किये जाने का कोई तार्किक एवं विधिक आधार नहीं है। गेंदकुंवर के हक त्याग के आधार पर नामान्तरकरण पर्बतसिंह के नाम दर्ज नहीं हुआ है न ही गेंदकुंवर द्वारा किये गये हक त्याग दस्तावेज की प्रस्तुती किसी सक्षम स्तर पर की गई है। उपरोक्त विवेचना अनुसार गुणावगुण के आधार पर भी अपील की पोषणीयता प्रकट नहीं आती।

उपरोक्त समग्र विवेचन के दृष्टिगत हम अधीनस्थ न्यायलय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 142 निर्णय दिनांक 14.6.1973 को निरस्त किये जाने के आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते एवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारीज की जाती है।

मिसल शुमार फैसल हो आदेश सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(एल0 एन0 मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर